"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 सितम्बर 2004—भाद्र 13, शक 1926

आवास, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 4-71/32/2004.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 38 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से रायपुर विकास प्राधिकरण का गठन करता है, जो एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा समान मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी.

Raipur, the 3rd September 2004

NOTIFICATION

No F. 4-71/32/2004.—In exercise of powers conferred by Section 38 (1) of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby, constitute Raipur Development Authority with effect from the date of publication of this notification in state gazette, which shall be a body Corporate having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold & dispose of property and contract.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

सगझे, जिसके कि अन्तर्गत किसी भवन या संकर्मों का तोड़ा जाना या परिवर्तित किया जाना या कोई निर्माण संबंधी या अन्य संक्रियाओं का कार्यान्वित किया जाना आता है, करके अनुज्ञा की शर्तों का या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कर सकेगा और उसके द्वारा इस संबंध में उपगत किए गए व्ययों की रकम स्वामी से भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल कर सकेगा ।

(7) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा 6 के खंड (क) के अधीन अभियोजित किया गया हो, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

or with the permission as modified by taking such steps as the Director may consider necessary, including demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operations, and recover the amount of any expenses incurred by him in this behalf from the owner as arrears of land revenue.

(7) Any person prosecuted under clause (a) of sub-section (6) shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees or with both, and in the case of a continuing offence with further fine which may extend to two hundred and fifty rupees for every day during which the offence continues after conviction for the first commission of the offence.

टिप्पणी

मास्टर प्लान में भूमि पूर्व से ही सम्मिलित कर ली गई, संबंधित ग्राम भी योजना के क्षेत्र में सम्मिलित, पृथक् से अधिसूचना जारी की गई, ग्राम पंचायत सक्षम अधिकारी नहीं है। निदेशक नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति ली जाना आवश्यक है जिसके अभाव में निर्माण तोड़ा जाना उचित है। दशमेश इन्टरप्राइजेस वि. म.प्र. राज्य, 2006(3) JLJ 299।

अध्याय–7
नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी

38. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना– (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे नाम से तथा ऐसे क्षेत्र के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना कर सकेगी ।

(2) विकास योजना में की प्रस्थापना को कार्यान्वित करने, एक या अधिक नगर विकास स्कीमें तैयार करने और उस क्षेत्र के जो उपधारा (1)

Chapter–VII
Town and Country Development Authority

38. Establishment of Town and Country Development Authority.– (1) The State Government may, by notification, establish a Town and Country Development Authority by such name and for such area as may be specified in the notification.

(2) The duty of implementing the proposal in the development plan, preparing one or more town development

Scanned by CamScanner

के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, विस्तार या सुधार के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने तथा उसका विकास करने का कर्त्तव्य इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उक्त क्षेत्र के लिए स्थापित किए गए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होगा :

परन्तु नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी पर अधिरोपित कर्त्तव्य का पालन उपधारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र के लिए उस प्राधिकारी की स्थापना हो जाने तक उस स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जो कि ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखता हो, इस प्रकार किया जाएगा, मानो कि वह इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी हो ।

(3) उस क्षेत्र के लिए, जिसको कि उपधारा (2) का परन्तुक लागू होता है, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना हो जाने पर उस क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात्—

(एक) उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कर्त्तव्य का निर्वहन करने में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्जित की गई समस्त आस्तियां तथा उपगत किए गए समस्त दायित्व ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के स्थान पर स्थापित किए गए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की आस्तियां तथा दायित्व होंगे एवं समझे जाएंगे ।

(दो) खंड (एक) में निर्दिष्ट किए गए स्थानीय प्राधिकारी के समस्त अभिलेख तथा कागज पत्र उसके स्थान पर स्थापित किए गए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होंगे तथा उसे अन्तरित कर दिए जाएंगे ।

schemes and acquisition and development of land for the purpose of expansion or improvement of the area specified in the notification under sub-section (1) shall, subject to the provision of this Act vest in the Town and Country Development Authority established for the said area :

Provided that the duty imposed on the Town and Country Development Authority shall, till that authority is established for any area under sub-section (1), be performed by the local authority having jurisdiction over such area as if it were a Town and Country Development Authority established under this Act.

(3) On the establishment of the Town and Country Development Authority for the area to which the proviso to sub-section (2) applies, the following consequences shall ensue in relation to that area, namely:—

(i) all assets and liabilities acquired and incurred by the local authority in the discharge of the duty under the proviso to sub- section (2) shall belong to and be demand to be the assets and liabilities of the Town and Country Development Authority established in place of such local authority;

(ii) all records and papers belonging to the local authority referred to in clause (i) shall vest in and be transferred to the Town and Country Development Authority established in its place.

टिप्पणी

यह संविधिक निकाय है और प्राधिकारी द्वारा आवसीय प्रकोष्ठ योजना बनाई गई। जिसके अंतर्गत प्रकोष्ठ बनाकर विनियम, 1984 के विनियम 21 के अनुसार उनका व्ययन किया जाना है। प्रकोष्ठ की कीमत में अभिवृद्धि की जाना अनुचित एवं अतार्किक है। **साधना अग्रवाल वि. इन्दौर विकास प्राधिकारी, AIR 1986 MP 88 = 1985 MPLJ 616 = 1986 JLJ 941**

समाचार पत्रों को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किये जाने हेतु निर्देश दिया गया । **जीवनसिंह वि. म.प्र. राज्य, 2008 (2) MPHT 126।**

Scanned by CamScanner